बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दलसिंहसराय।

Email ID- fcddalsinghsarai@gmail.com, Mob No. 7463889788

भाड़े पर वाहन लेने हेतु अति अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या – 01/2026–27

पत्रांक 843 / दलसिंहसराय, दिनांक 08 / 04 / 2026

बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दलसिंहसराय के अधीन योजनाओं के अनुश्रवण एवं निरीक्षण तथा उच्चाधिकारियों की बैठक में भाग लेने इत्यादि कार्य हेतु भाड़े पर वाहन बोलेरो/स्कार्पियो (चालक सहित) वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए आवश्यकता है। इच्छुक वाहन मालिकों/फार्म से मुहरबंद लिफाफा में कोटेशन के शर्त्तो के साथ कोटेशन आमंत्रित किया जाता है। जिसका विवरणी निम्न है:–

क्र0	कार्यान्वित अवधि	अदद	वाहन का प्रकार	अभियुक्ति
I.	01.05.2026 से 31.03.2027 तक	01 अदद	स्कार्पियो/समकक्ष वाहन	
II.	01.05.2026 से 30.05.2026 तक	03 अदद	बोलेरो /समकक्ष वाहन	
III.	01.06.2026 से 31.10.2026 तक	05 अदद	बोलेरो /समकक्ष वाहन	
IV.	01.11.2026 से 31.03.2027 तक	03 अदद	बोलेरो /समकक्ष वाहन	

1. कोटेशनदाता का पदनाम एवं पता :– कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दलसिंहसराय।
2. कोटेशन आमंत्रण की तिथि :– दिनांकः– 08.04.2026
3. कोटेशन जमा करने की अवधि :– दिनांक 29.04.2026 को 10:00 बजे पूर्वाहन से 03:00 बजे अपराह्न तक
4. कोटेशन प्राप्त करने का स्थान :– (i) मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन, विभाग, समस्तीपुर।
   (ii) अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, समस्तीपुर।
   (iii) कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दलसिंहसराय।
5. कोटेशन खोलने की तिथि, समय एवं स्थान :– दिनांक 29.04.2026 के अपराह्न 03:30 बजे कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दलसिंहसराय।
6. कार्य विवरण तथा नियम एवं शर्तें :– अनुलग्नक के रूप में संलग्न।

Naveen
8/4/26

कार्यपालक अभियंता
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दलसिंहसराय।

कोटेशन पर वाहन रखने की शर्तें निम्नवत् है :–

1. भाड़े पर वाहन क्रमांक I, क्रमांक II, क्रमांक III एवं क्रमांक IV पर अंकित अवधि तक के लिए लिया जायेगा। व्यवसायिक निबंधन अनिवार्य है।
2. वाहन का मॉडल 2020 के पूर्व का नहीं होना चाहिए एवं अच्छे हालत में होना चाहिए।
3. वाहन का दैनिक रख–रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी सप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक / फर्म द्वारा किया जायेगा। चालक के वेतन का भुगतान, आवासन एवं भोजन आदि का व्यवस्था वाहन मालिक / फर्म द्वारा ही किया जायेगा।
4. सभी प्रकार के करों एवं अन्य शूल्क आदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
5. वाहन का कागजात टैक्स बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए। मालिक / फर्म का जी0एस0टी0 एवं आयकर निबंधन होना अनिवार्य है।
6. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिए।
7. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक / फर्म का होगा।
8. वाहन के उपयोग के विरूद्ध किराया प्रतिदिन ईंधन रहित देय होगा।
9. वाहन के उपयोग के लिए लॉग बुक का संधारण वाहन मालिक की जबावदेही होगी जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगे, जिसके आधार पर भाड़े का भुगतान किया जायेगा।
10. वाहन का ईंधन रहित (चालक सहित) मासिक का न्यूनतम दर के कोटेशनदाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना बताये एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। एकरारनामा 1000 (एक हजार) के स्टाम्प पेपर पर किया जायेगा।
11. वाहन का किराया जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के ज्ञपांक 566 / नजा०, दिनांक 25.06.2025 द्वारा निर्धारित अधिकतम उद्धत दर प्रतिमाह मे से न्यूनतम दर स्वीकार होगा तथा भुगतान विभाग से आवंटन प्राप्त होने के पश्चात किया जायेगा।
12. बाढ़ अवधि एवं कटाव निरोधक कार्य की अवधि में वाहन का उपयोग दिन एवं रात दोनों समय में किया जाता है। अतः इस अवधि में दो चालक उपलब्ध कराना होगा।
13. वाहन का उपयोग वाहन मालिक / वाहन आपूर्तिकर्त्ता निजी अथवा अन्य व्यवासायिक कार्यों में नहीं करेंगे।
14. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक / फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दूसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उस दिन का भाड़े का भुगतान में से दोगुने दर से कटौती कर ली जायेगी।

15. इच्छुक वाहन मालिक/फर्म उक्त क्रमांक 01 से 14 तक के शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ–पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) एवं क्रमांक 05. एवं 06 संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति कोटेशन के साथ समर्पित करेंगे।
16. एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर कोटेशनदाताओं के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फर्म का चयन किया जायेगा।
17. शपथ–पत्र एवं वाँछित कागजात नहीं रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।
18. विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु अधोहस्ताक्षरी के सूचना पट्ट एवं वेबसाईट www.wrd.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

ह0/–
कार्यपालक अभियंता
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दलसिंहसराय।

पत्रांक 843 /दलसिंहसराय, दिनांक 08/04/2026

प्रतिलिपि– सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना को हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं वेवसाईट के माध्यम से प्रचार–प्रसार हेतु समर्पित।

Naresh 8/4/26
कार्यपालक अभियंता
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दलसिंहसराय।